



भारतसरकार Government of India
रेलमंत्रालय Ministry of Railways
रेलवेबोर्ड(Railway Board)



RBA NO.- 26/2024

No. 2024/AC-II/21/9 /e3476004

New Delhi, dated : 07.10.2024

1. General Managers/FA&CAOs etc(As per standard List I)
2. All attached offices/Subordinate Offices (As per standard List II)

Sub: ACS No. **58** to Accounts Code Part-I Amendment to the Scheme of Payment of Railway Pension through PSBs.

In terms of instructions issued to Banks vide Board's letter No. **2012/AC-II/21/6(PART)/Spot check dated 14 .08.2019**, it has been decided that **Annexure II-C (DEBIT SCROLL/REGISTER OF PAYMENT OF PENSIONS) in the SCHEME FOR DISBURSEMENT OF PENSIONS TO RAILWAY PENSIONERS THROUGH PUBLIC SECTOR BANKS EFFECTIVE FROM 1-8-1976** (chapter X of the Accounts code volume-I) shall be modified to conform to the formats prescribed in the letter cited above. These formats are enclosed for ready reference.

Accordingly, **Advanced Correction Slip No. 58** is enclosed for necessary action.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

Signed by

Rajat Agarwal

Date: 07-10-2024 13:21:22

(Rajat Agarwal)

Joint Director Finance/CCA
Railway Board

Copy to :

1. General Manager, Reserve Bank of India, Dept. of Govt & Bank Accounts, Central Office, Opp Mumbai Central Railway Station, Byculia, Mumbai-400 008 with a request to notify all banks disbursing Railway pension.
2. CGA, Ministry of Finance, Deptt of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi
3. Dy. C&AG of India (Railways, Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 45 spare copies)
4. Joint Secretary, Dept of Electronics and Information Technology, Ministry of Communications and IT , 6,CGO Complex, New Delhi – 110003
5. Gen Secy, NFIR/AIRF, New Delhi.
6. F(E) III,PAO/RB, ERB-I,II,III,IV,V,AC-III (6 copies), AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection

(Rajat Agarwal)
Joint Director Finance/CCA
Railway Board

Advance Correction Slip No. 58**INDIAN RAILWAYS CODE FOR THE ACCOUNTS DEPARTMENT****PART-I (Second Reprint)1997**

Annexure II-C of SCHEME FOR DISBURSEMENT OF PENSIONS TO RAILWAY PENSIONERS *THROUGH PUBLIC SECTOR BANKS EFFECTIVE FROM 1-8-1976* (chapter X of the Accounts code volume-I)Indian Railways Code for the Accounts Department Part – I, (Second Reprint)1997 may be amended as below:

Annexure II –C

DEBIT SCROLL/REGISTER OF PAYMENT OF PENSIONS

(See Paragraph 8.1, 8.8, 8.9)

S.No.	Transaction ID	
1	PPO Unique ID	
2	Transaction Date	
3	Transaction ID	
4	Pension type	
5	Employee Name	
6	Revised PPO No.	
7	PPO No.	
8	Pensioner Name	
9	Category CD	
10	Period Month Year	
11	Basic	
12	Commutation Amount	
13	Reduced Pension	
14	Dearness Relief	
15	Medical allowance	
16	Interim Relief	
17	Other Pay	
18	REC- amount	
19	ADD Dt	
20	DA amount	
21	DA	
22	Data date	
23	Scroll number	
24	SCROLL Dt	
25	TRN Class Dr. Railway	
26	PPO ID	
27	Net Amount	
28	Transaction Type	
29	Transaction Branch	
30	Transaction Account	
31	Transaction Credit amount	

32	TDS amount	
33	Pensioner's death	
34	Certificate received date	
35	CPPC Code	
36	Employee Date of Birth	
37	Family Pensioner Date of Birth	
38	Additional quantum of pension amount	
39	Reasons for other payment	
40	Reasons for recovery amount	

(Authority: Board's Letter No. 2024/AC II/21/9/ e 3476004 dated 07.10.2024)

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड(Railway Board)

आरबीए सं. 26/2024

नई दिल्ली, दिनांक 07.10.2024

सं.2024/एसी-II/21/9/ई3476004

1. महाप्रबंधक/विसमुलेधि आदि (मानक सूची I के अनुसार)
2. सभी संबद्ध कार्यालय/अधीनस्थ कार्यालय (मानक सूची II के अनुसार)

विषय : पीएसबी के माध्यम से रेलवे पेंशन के भुगतान की योजना में संशोधन के लिए लेखा
संहिता भाग-I की अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 58.

बोर्ड के दिनांक 14.08.2019 के पत्र सं. 2012/एसी-II/21/6(पार्ट)/स्पॉट चैक के तहत बैंकों को जारी निर्देशों के अनुसार, यह विनिश्चय किया गया है कि 1-8-1976 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशनरों को पेंशन वितरण स्कीम (लेखा संहिता जिल्द-I का अध्याय X) का अनुलग्नक II-ग (ड्रेडिट स्कॉल/पेंशन भुगतान रजिस्टर) उपरोक्त पत्र में दिए गए फॉर्मों के अनुसार संशोधित किया जाएगा। यह फॉर्म तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न हैं।

तदनुसार, अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 58 आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को कृपया यथोचित रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त



(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, बायकुला, मुंबई-400 008 को इस अनुरोध के साथ कि वे रेलवे पेंशन वितरित करने वाले सभी बैंकों को अधिसूचित करें।
2. सीजीए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली, (45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ)

4. संयुक्त सचिव, यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 6, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003
5. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर/एआईआरएफ नई दिल्ली।
6. एफ(ई)III, वेतन एवं लेखा कार्यालय/रेलवे बोर्ड, ईआरबी-I,II,III,IV,V, लेखा-III (6 प्रतियां), लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण।

ह.

(रजत अग्रवाल)

संयुक्त निदेशक वित्त/सीसीए
रेलवे बोर्ड

अग्रिम शुद्धि पर्ची संख्या 58
भारतीय रेल लेखा संहिता
भाग-I (द्वितीय पुनर्मुद्रण) 1997

1.8.1976 से प्रभावी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से रेलवे पेंशनरों को पेंशन वितरण स्कीम का अनुलग्नक II-ग (लेखा संहिता जिल्द-I का अध्याय X) भारतीय रेल लेखा संहिता भाग-I (द्वितीय पुनर्मुद्रण) 1997 को निम्नानुसार संशोधित किया जा सकता है:

अनुलग्नक II-ग

डेबिट स्कॉल/पेंशन भुगतान रजिस्टर
(पैरा 8.1, 8.8, 8.9 देखें)

क्र. सं.	लेनदेन आईडी	
1	पेंशन भुगतान आदेश यूनिक आईडी	
2	लेनदेन तिथि	
3	लेनदेन आईडी	
4	पेंशन का प्रकार	
5	कर्मचारी का नाम	
6	संशोधित पेंशन भुगतान आदेश सं.	
7	पेंशन भुगतान आदेश सं.	
8	पेंशनर का नाम	
9	श्रेणी सीडी	
10	अवधि महीना वर्ष	
11	बेसिक	
12	संराशिकरण राशि	
13	घटी हुई पेंशन	
14	महंगाई राहत	
15	चिकित्सा भत्ता	
16	अंतरिम राहत	
17	अन्य वेतन	
18	आरईसी-राशि	
19	एडीडी तिथि	
20	महंगाई भत्ता राशि	
21	महंगाई भत्ता	
22	डाटा तिथि	
23	स्कॉल सं.	

24	स्कॉल तिथि	
25	टीआरएन दर्जा डीआर रेलवे	
26	पेंशन भुगतान आदेश आईडी	
27	शुद्ध राशि	
28	लेनदेन का प्रकार	
29	लेनदेन शाखा	
30	लेनदेन खाता	
31	लेनदेन जमा राशि	
32	टीडीएस राशि	
33	पेंशनर की मृत्यु	
34	प्रमाण पत्र प्राप्ति तिथि	
35	सीपीपीसी कोड	
36	कर्मचारी की जन्मतिथि	
37	फैमिली पेंशनर की जन्मतिथि	
38	पेंशन राशि की अतिरिक्त मात्रा	
39	अन्य भुगतान के कारण	
40	वसूली राशि के कारण	

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 07.10.2024 का पत्र सं. 02024/एसी-II/21/9/ई3476004)